*** कोरोना को हराना है ***

झारखण्ड सरकार

कार्यालय
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(गोपनीय शाखा)

ISO 9001:2015 Certified **E-mail-dc-dum@nic.in, dcawas.dumka@yahoo.com**

।। आदेश ।।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नोबेल कोरोनावायरस (COVID-19) को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इस महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक महामारी है।

उल्लेखनीय है कि तम्बाकू का सेवन जन–स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त ही हानिकारक है। तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र–तत्र थूकने की होती है। तम्बाकू का सेवन कर थूकना (Spitting) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और यह संचारी रोगों के फैलने का प्रमुख कारण बन सकता है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना (COVID-19), इन्सेफ्लाइंटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल रहती है। तम्बाकू सेवन करने वाले व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे कोरोना वायरस सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरूद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, उस व्यक्ति को छः माह की अवधि तक का कारावास अथवा रूपये 200/– (दो सौ) तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा)–2003 की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप 200/– (दो सौ) रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। विदित हो कि तम्बाकू सेवन के उपरान्त उसे यत्र–तत्र थूकने को निषिद्ध करने से वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ यह कदम सरकार के नोबेल कोरोना वायरस (COVID-19) जैसी विश्वव्यापी महामारी से बचाव तथा "स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत" अभियान में भी अहम योगदान होने के साथ–साथ जनस्वास्थ्य को उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जन–स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दुमका जिला के सभी सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थानों एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करते हैं तो संबंधितों के विरूद्ध उपरोक्त प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से एवं सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायी जाये।

ह0/–
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
दुमका।

ज्ञापांक 950 /गो0 दुमका, दिनांक 07/04/2020

प्रतिलिपिः– सभी कार्यालय प्रधान, दुमका जिला को सूचनार्थ एवं आदेश का सख्ती से अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ सूचनार्थ कि उपरोक्त आदेश के संबंध में स्थानीय प्रिन्ट एवं मीडिया समाचारों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराने की कार्रवाई करेंगे।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थाना प्रभारियों को उपरोक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

07/4/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
दुमका।